कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, मोतीमहल, ग्वालियर

E-mail-ecmpgwl@hotmail.com

:: स्थाई परिपत्र निरीक्षण / 2012–13 / 28 ::

ग्वालियर, दिनांक 27.09.2012

विनिर्माणी इकाइयों के निरीक्षण के सम्बन्ध में पूर्व में जारी निर्देशों को अधिक्रमित करते हुये, निम्नांकित निरीक्षण निर्धारित किये जाते हैं :–

1. समस्त विनिर्माणी (डी–1, बी–3, बी–3–क, एफ.एल.–9/9–क, सी.एस.–1–ख) इकाइयों एवं केन्द्रीय भाण्डागार (एफ.एल.–10 क/10 ख) अनुज्ञप्तियों तथा इनके प्रभारी अधिकारियों के कार्यालयों एवं अभिलेखों का निरीक्षण, सम्बन्धित संभाग के उपायुक्त आबकारी द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार किया जाएगा। संभागीय उड़नदस्ता में पदस्थ सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा भी इन इकाइयों का निरीक्षण, वर्ष में कम से कम एक बार उपरोक्त से पृथक किया जाएगा।

2. संभाग में पदस्थ उपायुक्त आबकारी तथा सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा पृथक–पृथक विनिर्माणी इकाइयों एवं बाहरी निर्माता केन्द्रीय भाण्डागार लायसेंसों के निरीक्षण लगभग छः माह के अंतराल पर किये जायेंगे। संभागीय उड़नदस्ता में सहायक आबकारी आयुक्त के स्थान पर, जिला आबकारी अधिकारी के पदस्थ होने पर, उनके द्वारा उपरोक्त निरीक्षण स्वतंत्र रूप से नहीं किये जायेंगे, बल्कि उनके द्वारा उपायुक्त आबकारी को निरीक्षण कार्य में सहयोग दिया जायेगा।

3. जिस जिले में विनिर्माणी इकाई अथवा बाहरी निर्माता केन्द्रीय भाण्डागार अनुज्ञप्ति स्थित है, उस जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा भी वर्ष में कम से कम दो बार उपरोक्त इकाइयों का निरीक्षण किया जाएगा।

उपरोक्त सभी निरीक्षण आकस्मिक रूप से किए जाऐंगे।

हस्ता/–
(एस.के.वेद)
आबकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश

पृष्ठां.क्रमांक–(निरी.)/2012–13/69 ग्वालियर, दिनांक 27.09.2012

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, भोपाल।
2. अपर आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश (प्रशासन/तकनीकी) मुख्यालय,
3. उपायुक्त आबकारी, (तकनीकी/प्रशासन/प्रशिक्षण) मुख्यालय,
4. उपायुक्त आबकारी, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, मध्यप्रदेश, भोपाल,
   की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ।
5. समस्त उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, मध्यप्रदेश,
6. समस्त सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी, मध्यप्रदेश,
   की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. समस्त प्रभारी अधिकारी, विनिर्माणी (डिस्टलरी, वाइनरी, ब्रूअरी, देशी मदिरा, विदेशी मदिरा बॉटलिंग इकाइयां, (डी–1, बी–3, बी–3–क, एफ.एल.–9/9–क, सी.एस.–1–ख) इकाइयों एवं केन्द्रीय भाण्डागार (एफ.एल.–10–क/10–ख) लायसेंसों,
8. समस्त विनिर्माणी (डिस्टलरी, वाइनरी, ब्रूअरी, देशी मदिरा, विदेशी मदिरा बॉटलिंग इकाइयां, (डी–1, बी–3, बी–3–क, एफ.एल.–9/9–क, सी.एस.–1–ख) इकाइयों एवं केन्द्रीय भाण्डागार (एफ.एल.–10–क/10–ख) अनुज्ञप्तिधारकों,
   की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

(एस.के.वेद)
आबकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश

D-1.doc-1